पटना में दिनांक–22 जुलाई, 2014 मंगलवार को अपराह्न 07:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	गृह (विशेष) विभाग		
1.	दिनांक–12.10.2012 को मधुबनी में उग्र भीड़ द्वारा हिंसक घटनाओं और पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का, दिनांक–01.07.2014 से 30.09.2014 तक अवधि विस्तार के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	गृह (आरक्षी) विभाग		
2.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना में एक डी०एन०ए० प्रशाखा के गठन हेतु पद सृजन के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	कृषि विभाग		
3.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर–योजना अंतर्गत स्थापना एवं अन्य बजट में उपबंधित राशि रू० 92,40,27,000.00 (बेरानवे करोड़ चालीस लाख सताईस हजार) रूपये में से तत्काल 30,79,00,000.00 (तीस करोड़ उनासी लाख) रूपये मात्र कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह अप्रैल, 2014 से जुलाई 2014 तक के लिए वेतन, परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा वेतनादि के अलावा मद में सहायक अनुदान की व्यय की स्वीकृति।	3.	स्वीकृत।
	कृषि विभाग		
4.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर–योजना अंतर्गत स्थापना एवं अन्य बजट में उपबंधित राशि रू० 98,25,00,000.00 (अनठानवे करोड़ पच्चीस लाख) रूपये में से तत्काल 32,75,00,000.00 (बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये मात्र कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक के लिए वेतन, परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा वेतनादि के अलावा मद में सहायक अनुदान की व्यय की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।
	विधि विभाग		
5.	न्यायमंडल मधुबनी के अधीन झंझारपुर अनुमंडल में दो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कोटि के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

	विधि विभाग		
6.	न्यायमंडल अरवल, शेखपुरा एवं किशनगंज के अधीन तीन प्रधान न्यायाधीश (फैमली कोर्ट) न्यायालयों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कोटि के कुल 33 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
7.	दिनांक–01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) को (i) सेवाकाल के मृत्यु होने (ii) सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने एवं (iii) कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों को गैर पेंशनरी अनुग्रह–अनुदान एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
8.	बिहार में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन।	8.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
9.	इंदिरा गाँधी ह्रदय रोग संस्थान मोबाइल कोरोनरी इकाई सेवा नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति।	9.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
10.	इंदिरा गाँधी ह्रदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति।	10.	स्वीकृत।
	गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग		
11.	राज्य के कारा सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत एवं "बिहार कारा हस्तक, 2012" के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत कारा प्रशासन के कार्यों के सुचारू संचालन, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु Prison ERP System, Visitor Management System, Video Conferencing System, CCTV Monitoring System इत्यादि के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु 536 अतिरिक्त पदों के सृज़न और उनके विरूद्ध उच्च कक्षपाल एवं कक्षपाल के पूर्व से सृजित क्रमशः 49 एवं 546 पदों के प्रत्यर्पण के संबंध में।	11.	स्वीकृत।
	ग्रामीण विकास विभाग		
12.	"बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2014" की स्वीकृति का प्रस्ताव।	12.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

13. विकास प्रबंधन संस्थान (Development Management Institute) के लिए आवश्यक 25 शैक्षणिक एवं 37 गैर शैक्षणिक कुल 62 पदों की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

15. श्री अशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, पतरघट प्रखंड, सहरसा सम्प्रति निलंबित, (मु०) अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना द्वारा अपने पदस्थापन काल में प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए बृहद दंड सेवा से बर्खास्तगी करने की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य में विकास प्रबंधन संस्थान (Development Management Institute) की स्थापना हेतु सहायक अनुदान मद में बजट उपबंधित राशि ₹ 2000.00 लाख (बीस करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

17. बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2x250 मेगावाट के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत अनुमानित लागत 3133.169 करोड़ रूपये के बदले पुनरीक्षित लागत 3707.00 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति, पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1179.60 करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूँजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15 में 10.00 (दस करोड़) करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

18. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण फेज–III के अधीन "एन–1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रूपये की योजना बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा विमुक्त की जानेवाली राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 के बीच बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क०लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 18. **स्वीकृत।**

पर्यावरण एवं वन विभाग

19. विभागीय प्रक्षेत्र परिसर एवं उपपरिसर ढ़ॉचे के पुर्नगठन के साथ वनरक्षी के 902, वनपाल के 150 एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों के 17 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में। — 19. **स्वीकृत।**

पर्यावरण एवं वन विभाग

20. कृषि वाणिकी योजना अंतर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता होने पर ही प्रोत्साहन राशि के भुगतान संबंधी शर्त्त में संशोधन के संबंध में। — 20. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी अंचल के मौजा–पिपरौन दिघिया, थाना सं०–22, खाता सं०–306 (पु०)/1317 (नया) खेसरा सं०–937 (पु०/1630 (नया) रकबा– 3 एकड़ किस्म भिण्डा गैर मजरूआ खास भूमि एस०एस०बी० कैम्प निर्माणार्थ हेतु 1350000 (तेरह लाख पचास हजार) रूपया सलामी एवं 1687500 (सोलह लाख सतासी हजार पांच सौ) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 3037500 (तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ) रूपया के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को हस्तान्तरण। — 21. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. किशनगंज जिला एवं किशनगंज अंचल के मौजा–हालमाला के 57.13 एकड़ एवं मौजा–मोतिहारा तालुका के 18.17 एकड़ कुल 75.30 एकड़ गैर मजरूआ सर्वसाधारण भूमि (विवरणी–अनुलग्नक–I), 3,23,01,250 (तीन करोड़ तेईस लाख एक हजार दो सौ पचास) रूपया सलामी एवं 4,03,76,575 (चार करोड़ तीन लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ पछहत्तर) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 7,26,77,825 (सात करोड़ छब्बीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ पचीस) रूपया भुगतान पर सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त बटालियन मुख्यालय के स्थापना हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण। — 22. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

23.	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (असैनिक) वेतनमान पी०बी०–4 (37400– 67000/–) एवं ग्रेड पे 8900/– के पद से अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) ग्रेड पे 10,000/– के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

24.	बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों को ए०सी० पी० योजना, 2003 एवं संगत प्रावधानों के तहत् द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ की स्वीकृति।	24.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

25.	बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 में संशोधन।	25.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

26.	12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण होने वाले 160 स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रति इकाई 15.57 लाख रूपये के दर से कुल 2491.20 लाख रूपये के अतिरिक्त वर्त्तमान Schedule of Rate के आधार पर प्राक्कलित राशि के अनुसार अन्तर राशि 1650.30 लाख रूपये अर्थात कुल 4141.50 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	26.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

27.	बिहार राज्य में आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु गठित आतंकवाद निरोधकदस्ता के लिए एक अपर पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	27.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

28.	बिहार में गठित आतंकवाद निरोधक दस्ता की सामान्य कार्य व्यवस्था एवं कार्य निष्पादन हेतु बिहार आतंकवाद निरोधक दस्ता नियमावली, 2014 का अनुमोदन करने के संबंध में।	28.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

29.	राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 200/–रूपये स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	29.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

30. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन से संबंधित बिहार वित्त विधेयक, 2014 को बिहार विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में। — **30. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

31. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) के अन्तर्गत उपलब्ध योजना उद्व्यय/बजट उपबंध कुल रूपये 10,00,00,000/–(दस करोड़) मात्र की स्वीकृति के साथ–साथ योजना के संचालन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य परियोजना सहायता इकाई, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद् एवं गृहों के संधारण हेतु आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक मद की पुनरीक्षित दरों एवं पूर्व से सृजित पदों में संशोधन/प्रत्यार्पण की स्वीकृति के संबंध में। — **31. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

32. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निश्चेतना विभाग में कार्यकारी सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को सहायक प्राध्यापक (वेतनमान–15600–39100 ग्रेड पे–6600) के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव। — **32. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

33. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निश्चेतना विभाग में कार्यकारी सहायक प्राध्यापक को सहायक प्राध्यापक (वेतनमान 15600–39100/–ग्रेड पे० 6600/–) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव। — **33. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

34. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निश्चेतना विभाग के कार्यकारी सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के (वेतनमान–15,600–39100 ग्रेड पे–6600) पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को सह प्राध्यापक (वेतनमान–15,600–39100 ग्रेड पे–7600) के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव। — **34. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

35.	राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निश्चेतना विभाग में कार्यकारी प्राध्यापक (वेतनमान–15600–39100 ग्रेड पे–7600) के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को प्राध्यापक (वेतनमान–37,400–67,000 ग्रेड पे–8700/–)के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव।	35.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

36.	"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से एक लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले बिहार के नागरिकों के असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट उपबंधित राशि ₹ 25,00,00,000/– (पच्चीस करोड़) रूपये में से ₹ 8,33,00,000/–(आठ करोड़ तेतीस लाख) रूपये के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	36.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

37.	राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) को 30 शय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में उत्क्रमण हेतु कुल 14036.06 लाख रूपये (एक सौ चालीस करोड़ छत्तीस लाख छः हजार) रूपये की लागत पर पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।	37.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

39.	JnNURM योजना के अधीन शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य स्तर पर क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय ₹ 4021.77 लाख (चालीस करोड़ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति।	39.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

40.	मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–31.10.2013 के मद संख्या–12 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2752, दिनांक–14.11.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के सभी श्रेणी के नगरपालिकाओं के निर्वाचित वार्ड पार्षदों को दिए जाने वाले नियत मासिक भत्ता तथा संकल्प की कंडिका–4 के अंतिम अनुच्छेद में अंकित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता को विलोपित करने तथा निर्वाचित पार्षदों को रू० 200.00 प्रतिमाह की दर से बैठक भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।	40.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

41. राज्य के नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग में आनेवाली सामग्रियों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 129 के अंतर्गत "राज्य क्रय संगठन" नामित करने एवं 2 प्रतिशत की दर से सेंटेज के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — **41.** स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

42. राज्य के असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत 'बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" की वित्तीय वर्ष 2014–15 में अवधि विस्तार की स्वीकृति। — **42.** स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

43. कटिहार जिले के बारसोइ में "नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" योजनान्तर्गत औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारसोइ की स्थापना के संबंध में। — **43.** स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

44. वित्तीय वर्ष 2014–15 में "परवरिश" योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 2,40,00,000/–(दो करोड़ चालीस लाख) मात्र के सहायक अनुदान तथा 'परवरिश' योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की स्वीकृति के संबंध में। — **44.** स्वीकृत।